# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– देवीलालयादव ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 84/2019

**उनवान**

1. केसर सिंह पुत्र अज्जा,
2. मदन,
3. गोपाल पुत्र राम सिंह जाति रावत नि0 अंसरी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. राजी पत्नी बिरदा,
2. रामदेव,
3. बीरम पि0 बरदा जाति रावत नि0 अंसरी, नसीराबाद,
4. उप पंजीयक, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित, 4 व 5 जरिये राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.5.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा में स्थित आराजी मूतनाजा वादीगण की क्रयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

| चौसाला खसरा नम्बर | रकबा | वंर्किग खसरा नम्बर | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 1–11–0 | 428 | 1–5–0 | 515 | 0.10 |
| | | 431 | 0–6–0 | 516 | 0.15 |

उपरोक्त आराजी के ततकालीन खातेदार बरदा पुत्र बज्जा ने चौसाला खसरा नम्बर 343 रकबा 1–11–0 की आराजी जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1983 को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 3 के पिता रामा को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। केसर

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सिंह केता वादी संख्या 1 है रामा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादी संख्या 2 व 3 है। विक्रेता बरदा पुत्र बज्जा की भी मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम विक्रय पत्र की पालना में दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी/पूर्वज की विधिक क्रयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया ग्राम असंरी के चौसाला खसरा नम्बर 343 रकबा 1—11—0 की आराजी चौसाला जमाबंदी के खाता संख्या 107 में बिरदा पुत्र बजा व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज है। वंक्रिग खसरा नम्बर 428 रकबा 1—5—0 व 431 रकबा 0—6—0 की आराजी वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 70 में बरदा पुत्र बज्जा व अन्य व्यति की खातेदारी में है। तत्करलीन खातेदार बरदा पुत्र बज्जा ने आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1983 को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 3 के पिता रामा को बेचान कर दिया था। विक्रेता रामा की मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस वादी संख्या 2 से 3 ही है। क्रय दिनांक से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रेता द्वारा भूमि का बैचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादीगण/पूर्वज को कर दिया है। आराजी मुतनाजा का बैचान पंजीबद्व होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई जवाब साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर विक्रेता का हिस्सा क्रेता/वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम कर दिया जिस कारण आराजी मुतनाजा का वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण वादग्रस्त सम्पदा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 0.10 व 516 रकबा 0.15 की आराजी पर वादीगण का वाद ''स्वीकार'' किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से व वादी संख्या 2 से 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की आराजी पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

*डिक्री व मुकदमें इब्ताई*
*न्यायालय उपंखण्ड अधिकारी नसीराबाद*

**उनवान**
केसर सिंह बनाम राजी.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –84/2019
पेश करने की दिनांक – 23.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 0.10 व 516 रकबा 0.15की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से व वादी संख्या 2 से 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की आराजी पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 5 सन् 2025 को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:16:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद